राजभाषा नीति के मुख्य बातें
Official Language Policy Important Instructions

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY MEGHALAYA

भारत का सं वधान 1949 अनुच्छेद 351

Article 351 in The Constitution Of India 1949

हिन्दी भाषा के वकास के लए निर्देश:

351वे अनुच्छेद में हिन्दी के वकास के वषय में, संघ सरकार को निम्न ल खत निर्देश दिए गए हैं:-

" हिन्दी भाषा की - प्रसार वृ द्ध एवं उसकी वकास करना, ता क वह भारत की सामा सक संस्कृति की सभी तत्वों की अ भव्यक्ति का माध्यम हो सके। भाषा की आत्मीयता में हस्तक्षेप कए बिना हिन्दुस्तानी एवं अष्टम अनुसू च में उल्लि खत अन्य भारतीय भाषाओं की रूप शैली एवं पदावली को आत्मसात करते हुए उसके शब्द भण्डार के लए मुख्यत: संस्कृत एवं गौणत: उल्लि खत भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृ द्ध सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा "।

Article 351 in The Constitution Of India 1949

Directive for development of the Hindi language:

“ It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages”.

PART XVIII EMERGENCY PROVISIONS.

दिनांक 18 जनवरी, 1968 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प में यह यह व्यक्त कया गया है क :

"यह सभा संकल्प संकल्प है क हिन्दी के प्रसार एवं वकास की गति बढाने हेतु तथा संघ के व भन्न राजकीय प्रयोजनों के लए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अ धक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार कया जाएगा और उसे कार्यान्वित कया जाएगा और कए गए उपायों एवं की गई प्रगति की वस्तृत वा षक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी.........."

The Official Language Resolution dated 18th January, 1968 as adopted by both the Houses of Parliament states:

"The House resolves that a more intensive and comprehensive programme shall be prepared and implemented by the Government of India for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for the various official purposes of the Union and an Annual Assessment Report giving details of the measures taken and the progress achieved shall be laid on the Table of both the Houses of Parliament……."

उक्त संकल्प के उपबंधों के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों और साव्रजनिक क्षेत्र केबैंकों/उपक्रमों द्वारा कार्यान्वयन के लए राजभाषा हिन्दी के प्रसार और प्रगामी योग के लए वा षक कार्यक्रम गृह मंत्रालय, राजभाषा वभाग, भारत सरकार के द्वारा तैयार कया जाता है । इसके लए हिन्दी बोले जाने और लखे जाने की प्रधानता के आधार पर जिन तिन क्षेत्रों के रूप में देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चह्नत कया गया है, उनकी भौगो लक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है।
इन तीनों क्षेत्रों, यथा - 'क','ख' और 'ग' का ववरण इस प्रकार है :-

क	बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह ,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र
ख	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाव राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव ताथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र
ग	'क' और 'ख' क्षेत्र में शा मल न कए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र

It is in consonance with the provisions of the said Resolution that an Annual Programme for the promotion and progressive use of the Official Language Hindi is prepared every year for implementation by the Central Government Offices and Public Sector Banks/Undertakings, keeping in view their geographic location in the three Regions, into which the country is divided. The demarcation of the country into three Regions has been made depending on the extent of preponderance to which Hindi is spoken and written in the given Region. The details of three Regions viz. A, B and C are as follows:

A	States of Bihar, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand, National Capital Territory of Delhi and Andaman & Nicobar Islands Union Territory
B	States of Gujarat, Maharashtra and Punjab and Union Territories of Chandigarh, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli
C	All other States not included in the 'A' and 'B' Regions or Union Territory

वर्ष 2018-19 का वा षक कार्यक्रम इसी क्रम में जारी कया गया है:
: (राजभाषा नियम 1976 के अनुसार)

हिन्दी के प्रयोग के लए वर्ष 2018-19 का वा षक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य का ववरण	क क्षेत्र	ख क्षेत्र	ग क्षेत्र
1.	हिन्दी में मूल पत्राचार ईमेल सहित	1. क से क 100 % 2. क से ख 100 % 3. क से ग 65 %	1. ख से क 100 % 2. ख से ख 100 % 3. ख से ग 55 %	1. ग से क 55 % 2. ग से ख 55 % 3. ग से ग 100 %

2.	हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिया जाना	100%
3.	हिन्दी में फाईलों में टिप्पणी लखा जाना	30%
4.	हिन्दी में प्र शक्षण (भाषा, टंकण / आशु ल प)	30%
5.	अनुवाद कोड,मैनुअल,फार्म, प्र क्रया साहित्य	100%
6.	द् वभाषी में सामाग्री बनाना (साईन बोर्ड/फ्लेक्स प्रंटिंग/रबर स्टांप एवं नाम प आदि)	100%
7.	हिन्दी पुस्तक खरीद पर व्यय (पुस्तकालय फंड से) (जर्नल एवं मानक संदर्भ पुस्तकों को छोडकर)	100%
8.	वेबसाईट द् वभाषी में	50%
9.	राजभाषा कार्यान्वयन स मति की बैठक (प्रत्येक तिमाही में एक बैठक)	4(चार)

The Annual Programme for the year 2018-19 is being issued in the same order : (as per Official Language Rules 1963)

Annual Programme for 2018-19 for use of Hindi

S.NO	DETAILS OF WORK	'A' REGION	B' REGION	'C' REGION
1.	Originating Correspondence in Hindi (including E-mail)	1. From A to A 100% 2. From A to B 100% 3. From A to C 65%	1. From B to A 90% 2. From B to B 90% 3. From B to C 55%	1. From C to A 55% 2. From C to B 55% 3. From C to C 55%

2.	Letters received in Hindi to be answered in Hindi	100%
3.	Noting in files	30%
4.	Hindi Training (Language, Typing / Stenography	100%
5.	Translation of Codes, Manuals, Forms, Procedural literature.	100%
6.	Preparation of Bilingual Material . (Sign Board/flex printing/rubber stamp, Name plates etc.)	100%
7.	Expenditure for the purchase of Hindi books	50%
8.	Website to be in bilingual	100%
9.	Official Language Implementation Committee Meeting (One meeting every quarter)	4 (Four)

राजभाषा अ धनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन का अनुपालन:

स मति को यह सू चत कया गया क राजभाषा अ धनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार ऐसे दस्तावेज यथा सामान्य आदेश, नियम, अ धसूचनाएं, प्रेस वज्ञप्तियां, अनुबंध, करार, लाईसेंस, अनुज्ञा पत्र, नि वदा सूचनाएं एवं नि वदा के प्रपत्रों को नि र्ववाद रूप से हिन्दी एवं अंग्रजी में द् वभाषी जारी करना आवश्यक है। यह भी सू चत कया गया क चुं क इसका अनुपालन अनिवार्य है, अतएव उक्त नियम में यह प्रावधान कया गया है क कसी भी तरह के चुक होने पर ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अ धकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

Compliance of Section 3(3) of official Language Act 1963:

Certain specified documents as per the Official Language Act 1963 such as General Orders, Rules, Notifications, Press Communiqués, Contracts, Agreements, Licenses, Permits, Tender Notices and Forms are to be issued invariably in Hindi and English Since, the compliance is mandatory, therefore the rule also provides that for any violation, the officer signing such documents will be held responsible.

तिमाही रिपोर्ट समय पर समे कत एवं तैयार कर मंत्रालय, राजभाषा वभाग को ऑनलाईन तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन स मति को भेजना:

तिमाही रिपोर्ट वहित प्रपत्र में राजभाषा कार्यान्वयन के व भन्न वषय के मदों को समाहित करते हुए संकलन कर दस्तावेज के रूप में तैयार करने एवं उसे मासं वमं एवं राजभाषा वभाग को *ऑन लाईन* भेजे जाने का महत्तव ।

तिमाही से संबद्ध माह एवं अव ध

जनवरी-मार्च : तिमाही रिपोर्ट 10 अप्रैल तक भेजना। अप्रैल-जून: तिमाही रिपोर्ट 10 जुलाई तक भेजना। जुलाई- सतंबर: तिमाही रिपोर्ट 10 अक्टूबर तक भेजना। अक्टूबर-दिसंबर: तिमाही रिपोर्ट 10 जनवरी तक भेजना

तिमाही रिपोर्ट सके कत करने के लए अनिवार्य ववरण की आवश्यकता:

1. धारा 3(3) – ऐसे सभी द् वभाषी में जारी दस्तावेजो यथा(कार्यालय आदेश, सूचनाएं, परिपत्र, अ धसूचनाएं,ज्ञापन, नि वदा सूचना एवं नि वदा के प्रपत्र) की कुल संख्या।
2. हिन्दी में प्राप्त पत्रों की हिन्दी में दिए गए उत्तर की संख्या।
3. जारी पत्रों की कुल संख्या उनमें से हिन्दी में जारी पत्रों की संख्या। क्षेत्र 'क' 'ख' एवं 'ग' को संस्थान से मूल रूप से भेजे जाने वाले पत्रों के 55% हिन्दी में भी होने चाहिए।
4. फाईलों की कुल संख्या । अंग्रेजी में लखे गए टिप्पणी की संख्या (पृष्ठों में) एवं हिन्दी टिप्पणी की संख्या। 30% टिप्प णयां हिन्दी में होनी चाहिए।
5. हिन्दी कार्यशाला का आयोजन कया गया- कतने अ धकारियों एवं कर्मचारियों को प्र शक्षण प्रदान कया गया।
6. राजभाषा कार्यान्वयन स मति की बैठक की गई यदि हॉ तो ति थ एवं क्या कार्यसूची एवं कार्यवृत हिन्दी एवं अंग्रजी में जारी कए गए।
7. तिमाही के दौरान व शष्ठ कार्य / उपलब्धियां का ववरण।

Timely compilation and preparation of Quarterly Report and furnishing to Ministry, online submission to Department of Official Language and Town Official Language Implementation committee:

Importance of compilation of various subject items of implementation of Official Language in a documented format of Quarterly Report and furnishing the same to MHRD and Official Language Department ***on line***.

Quarter consisting of the month and period:

January-March: Quarterly report to be furnished by the 10th of April. **April -June:** Quarterly report to be furnished by the 10th of July. **July-September:** Quarterly report to be furnished by the 10th of October. **October-December:** Quarterly report to be furnished by the 10th of January.

For compilation of Quarterly Report the requisite information are :

1. Section 3(3) – No. of all such documents (office orders, notices, circulars, notifications, Memorandums, tenders notices and form of tender) issued in bilingual.
2. No. of all letters received in Hindi replied to in Hindi.
3. Total No. of letters issued out of which how many Hindi letters are issued. Originating letters from the Institute to Central Govt. Officers in Region 'A' 'B' & 'C' at least 55% of which is required to be send in Hindi.
4. Total No. of files. How many noting were written in English (in pages) and Hindi noting written along with English. At least 30% of which is are required to be in Hindi.
5. Whether Hindi workshop organized- How many officers and officials were trained.
6. Whether Official Language Implementation Committee Meeting organized, if yes, dates and no. of meetings and whether agenda items and minutes were issued in Hindi and English.
7. Brief description of the outstanding works/achievements during the quarter.

धन्यवाद